नवनियुक्त अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने संभाला कार्यभार

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेंज आईजी के पद पर नवनियुक्त आईजी रुपिंदर सिंह ने बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। अजमेर रेंज कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने आईजी सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी सिंह ने पदभार ग्रहण करने के अवसर पर अजमेर, भीलवाड़, नागौर और टोंक के एसपी सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मालूम हो कि अजमेर रेंज आईजी के पद पर नियुक्त एस सेंगाथिर को पदोन्नति देते हुए एडीजी बनाया गया है।

अजमेर रेंज आईजी के पद पर नवनियुक्त आईजी रुपिन्दर सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 महामारी के इस दौर में गाइडलाइन की पालना कराना होगी तथा रेंज की कानून व्यवस्था सुचारू रहे इसो लेकर पुलिस के अधिकारियों से संवाद किया जाएगा। सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रेंज के अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अधिकारियों से संवाद करते हुए बेहतर कानून व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा।

अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने पदभार ग्रहण किया।

आईजी सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी एक बार फिर अपने पांव पसार रही है। ऐसे में इसकी पालना सुनिश्चित हो इसे लेकर निरंतर निर्देश दिया जाएंगे। जिससे कि इस महामारी से डटकर मुकाबला करते हुए इसे खत्म किया जा सके। इस अवसर पर जहां जिला पुलिस कप्तान विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, डीएसपी प्रियंका रघुवंशी, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरदा, राजेश चौधरी, प्रीति चौधरी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने रुपिंदर सिंह को बुके देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया।

पोस्टर वार से शहर को लगा ग्रहण

ब्यावर (नि स) । शहर के कई नेता अपनी आर्थिक और राजनैतिक ताकत, समृद्धि, योग्यता, लोकप्रियता का दिखावा करने के लिए पूरे शहर में अपने नाम और फोटो के पोस्टर लगाने को ही सीधा रास्ता समझने लगे है ।

नेताओ के पोस्टरों के बोझ से शहर का विकास बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। शहर के विकास से किसी को कोई सरोकार नही है। विधायक जी को ना किसी पार्टी के नेता जी को सब एक जुगत मे लगे है की मैं कैसे आगे रहू आगे निकलू भले ही शहर पीछे जाए। बडे बडे अलंकार युवा नेता,समाज सेवी,पूर्व,वर्तमान आदि लगा देने से शहर का विकास सम्भव नहीं होने वाला।मेवाडा ने अपना दर्द बया करते हुए कहा की पोस्टर पर बधाई हो, उम्र लम्बी हो,आप स्वस्थ्य रहे, हम भी कामना करते है लेकिन इंतजार हे उस दिन का जब शहर के विकास के संदर्भ मे बेनर पोस्टर लगे। मेरा मानना है कि सच्चा नेता वही जिसकी फोटो पोस्टर पर नही लोगो के दिलो मे छपे। ऐसे पोस्टर वार में कई स्थानों पर तो वर्तमान सरकार की उपलब्धियों के पोस्टर ही छुपा दिए गए या फाड डाले।

बार एसो. के अध्यक्ष पद का चुनाव आज

मांडलगढ़ (निस)। मांडलगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव में गुरुवार को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चारो प्रत्याशियों के बीच रौचक मुकाबला माना जा रहा हैं। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट रामगोपाल ब्रह्मभट्ट दूसरी बार चुनाव लड रहे है।

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर राज.
गांधी उद्यान-ब्यावर रोड़ बिजयनगर
टेलीफोन नं. 01462-230051 ई-मेल-npvijaynagar@gmail.com
क्रमांक: न.पा.बि./भूमि/2022/5324 दिनांक :-05.01.2022

आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका क्षेत्र में निम्न आवेदकों द्वारा काबिज भूखण्डों का स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 07 दिवस में अपनी आपति प्रस्तुत कर सकते है। बाद समयावधि प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	श्रीमती जड़ाव देवी/ भैरूलाल भील	नाड़ी मौहल्ला, बिजयनगर	75.00 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बिजयनगर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी./706 दिनांक 03.01.2022

आपत्ति सूचना

श्री भंवरसिंह राठौड़ पुत्र श्री समरथ राठौड़ निवासी ई-9 शालीमार कॉलोनी आदर्श नगर अजमेर एवं श्री राजेन्द्रसिंह राणावत पुत्र श्री अमरसिंह राणावत निवासी नैनवा रोड़ 134 इन्द्रा कॉलोनी बून्दी राजस्थान द्वारा एक भूखण्ड/सम्पति जो खसरा नम्बर 9301 का एक भाग है जो वाके मुख्य सड़क नसीराबाद रोड़ पश्चिम में आदर्श नगर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 225.74 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है :-
पूर्व :-आम रास्ता नसीराबाद रोड़ पश्चिम :-प्रकाश जी मकान
उत्तर:-प्रीतम सिंह दुका की सम्पति दक्षिण:- रास्ता आम गली 13.6 फुट चौड़ी
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी./721 दिनांक 05.01.2022

आपत्ति सूचना

आदित्य पैलेस प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री दीपक जैन पुत्र श्री कंवरलाल जैन निवासी संतकंवर कॉलोनी अजमेर द्वारा एक भूखण्ड/सम्पति संख्या-ए जो थोक तेलियान के खसरा नम्बर 941, 942, का भाग है जो वाके पुष्कर रोड़ अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 5828.74 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है :-
पूर्व :- मेरिज हॉल पश्चिम :-15 फुट रोड़
उत्तर:-पुष्कर रोड़ दक्षिण:- मकानात
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

भीलवाड़ा में बढ़ी सर्दी, घरों में दुबके लोग, कोहरे की आगोश में शहर

भीलवाड़ा। जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मंगलवार सुबह से जिले में शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप बुधवार को भी जारी है। इस शीतलहर के चलते लोगों की दिनचर्या में अचानक से बदलाव आ गया है। इधर बादलों का डेरा होने से सूर्य के दर्शन भी काफी कम हो रहे है। ऐसे में लोगों को सर्दी से बचाव करने के लिए अलाव व ऊनी कपडों का सहारा लेना पड रहा है।

वहीं, पिछले 48 घंटे से जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री बना हुआ है। मौसम विभाग के साइट की माने तो आने वाले चार से पांच दिन जिले में सर्दी के हालात इसी प्रकार के रहने वाले है। इधर इस मौसम को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत दी है। वहीं इस सर्दी को खेतों में खडी रबी की फसल के काफी फायदेमंद बताया जा रहा है।

बुधवार को मौसम की बात करें तो दिनभर शीतलहर का जोर रहा है। मौसम विभाग की साइट ने आने वाले 48 घंटों में जिले के कई स्थानों पर मावठ की आशंका भी जताई है। जिले में बुधवार को अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज रहने की आशंका है। इस बदले मौसम का असर लोगों की सेहत पर खासा पडने वाला है। सर्दी, जुखाम, बुखार, सांस के मरीजों में बढोतरी हो सकती है। डॉक्टरों इस सर्दी में सबसे ज्यादा बुजुर्ग व बच्चों को ख्याल रखने की बात कहीं है। चमकती सर्दी रबी की फसलों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है। खेतों में गेहूं, चना, सरसों व जौ की फसल खडी है। इस तेज सर्दी से इन फसलों को काफी फायदा होगा। वहीं खेतों में खडी गोभी, गाजर, मटर, बैंगन व इन्य सब्जी की फसलों को इसका नुकसान भी हो सकता है।

सर्दी बढने के बाद कचोरी की दुकान पर भिड़ लगी।

सड़को की मंजूरी मिलने पर सीएम का आभार जताया

अजमेर, (कासं)। नगर निगम क्षेत्र में सडको के निर्माण की राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार 1000 करोड रूपये का विशेष बजट आवंटन किया गया था।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव ने अजमेर नगर निगम क्षेत्र में सडको के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने पर अजमेर उत्तर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस महेन्द्र सिंह रलावता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव का आभार प्रकट करते हुए बताया कि कैलाशपुरी सामुदायिक भवन से क्रिश्चियनगंज पुलिया तक 20 लाख 72 हजार रूपये, बस स्टेण्ड से सी.आर.पी.एफ. ब्रिज तक 44 लाख रूपये, महावीर सर्किल से दरगाह निजाम गेट तक पेवर सडक रिनोवेशन कार्य 1 करोड 92 लाख रूपये का, वार्ड 5 फाईसागर पुलिस चौकी से फाईसागर तक पेवर एवं सी.सी. सडक कार्य 3 करोड 80 लाख रूपये, वार्ड 65 पुलिस लाईन चौराहे से शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक पेवर सडक कार्य 1 करोड 82 लाख रूपये, झुलेलाल मन्दिर से चौरसियावास तालाब तक सड़क की मंजूरी मिली है।

इसके अलावा बिटमन सडक 1 करोड 24 लाख रूपये, वार्ड 7 नागफनी चौराहा से बोराज तक पेवर सडक 1 करोड 8 लाख रूपये, वार्ड 13 निजाम गेट से नला बाजार होते हुए मदार गेट तक सी.सी. सडक कार्य 36 लाख रूपये का, वार्ड नं. 80 उषा रानी के मकान से राघव के मकान तक चौधरी कॉलोनी पेवर सडक कार्य 16 लाख रूपये, वार्ड नं. 60 कुन्दन नगर चौराहा पम्पिग स्टेशन से मिर्जी पोल्ट्री फार्म होते हुए किशन जनरल स्टोर व पुनः मिर्जी पोल्ट्री फार्म से गिरधारी की दुकान तक पेवर सडक रिनोवेशन कार्य 96 लाख रूपये का, वार्ड 16 आशागंज रोड साई बाबा बेकरी से चांद बावडी मन्दिर ममता साडी वाली रोड गोल चक्कर तक पेवर रोड कार्य 20 लाख 72 हजार रूपये का, वार्ड 71 सुभाष उद्यान शिव मन्दिर से लवकुश गार्डन तक पेवर सडक कार्य 96 लाख रूपये का, कडक्का चौक चौराहे से धान मण्डी चौक तक, 13 लाख 60 हजार रूपये की सडक के कार्य लगभग 13 करोड (तेरह) 29 लाख के कार्य अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्वकृत हुये है। अजमेर शहर की सडको के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। सडको का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) द्वारा कराया जायेगा।

संशोधन

दिनांक 26.11.2021 को प्रकाशित आम सूचना जिसमें आवेदक जगदीश प्रसाद गुप्ता है इसमें भूलवश प्राधिकरण की योजना का नाम थोक तेलियान प्रकाशित हो गया जबकि सही योजना का नाम थोक मालियान है।

आम सूचना

मेरी पत्नी स्व. हरकू पत्नि छगना जाट जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा की मृत्यु दिनांक 01.10.2001 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम कटसुरा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत कटसुरा में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी पत्नि स्व. हरकू का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत् जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज सहित अराई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
प्रार्थी छगना पुत्र भागीरथ जाट
उम्र 79 वर्ष निवासी ग्राम कटसुरा
तहसील अराई जिला अजमेर

आम सूचना

मेरे पिता विश्राम उर्फ विसराम पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम दादिया की मृत्यु दिनांक 04.02.2016 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम दादिया में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत दादिया में नहीं करवाया था अब मैं मेरे पिता विश्राम उर्फ विसराम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अराई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
प्रार्थी खुशीराम पुत्र विश्राम उर्फ बिसराम
जाति जाट निवासी ग्राम दादिया
तहसील अराई जिला अजमेर

आम सूचना

मेरी माता सोनी देवी पत्नि छोगा नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम गेहलपुर की मृत्यु दिनांक 17.02.2013 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम गेहलपुर में हो गई थी जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत सिरोंज में नही करवाया था। अब मैं मेरी माता सोनी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अराई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अराई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
प्रार्थी कैलाशनाथ पुत्र छोगा नाथ जाति जोगी निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अराई (अजमेर)

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी./723 दिनांक 04.01.2022

आपत्ति सूचना

श्री राजीव जैन पुत्र श्री कंवरलाल जैन निवासी 6 बी रोकसाईड गर्वनर गेट के सामने बालकेश्वर मुम्बई द्वारा एक भूखण्ड/सम्पति जिसका ए.एम.सी. नम्बर 19/515 पुराना व 670/2 नया का भाग है जो खसरा नं. 934 विश्राम स्थली के सामने पुष्कर रोड़, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1866.93 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है :-
पूर्व :- आम रास्ता पुष्कर रोड़ मेन सड़क पश्चिम :-जायदाद अन्य की
उत्तर:-श्री चुन्नीलाल उर्फ चिरंजीलाल जी की भूमि दक्षिण:- रास्ता आम
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी./719 दिनांक 04.01.2022

आपत्ति सूचना

श्री रविन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचंद जैन निवासी रतन कुंज बैंक कॉलोनी नम्बर 2 नाका मदार अजमेर एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचंद जैन निवासी रतन कुंज बैंक कॉलोनी नम्बर 23/81 नाका मदार अजमेर द्वारा एक भूखण्ड/सम्पति नगर सुधार न्यास (अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर) से नियमन किया हुआ एक आवासीय भूखण्ड जो खसरा नम्बर 842 व 843 का भाग है जो कि राजस्व ग्राम नौसर पुष्कर रोड़, अजमेर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1164.31 वर्गमीटर भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है :-
पूर्व :- मकान पश्चिम :-160 फुट चौड़ा रोड़
उत्तर:-30 फुट चौड़ा नाला दक्षिण:- अन्य की सम्पति
अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
क्रमांक:-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2022/1022 दिनांक 05.01.2022

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेन्ट प्लान2033(जोन2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आनासागर होटेल्स प्रा.लि. जरिए प्रतिनिधि श्री मनोज डंगायच पुत्र श्री मदनलाल डंगायच	राजस्व ग्राम नौसर	खसरा संख्या 850 का पार्ट	260.71 वर्गमीटर	आवासीय	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।
सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर जिला अजमेर, राज.
क्रमांक/न.पा.बि./भूमि/2021/5269 दिनांक:04.01.2022

लोक सूचना

(1) श्री हनुमन्त प्रकाश पुत्र गुलाबचंद (2) सरला देवी पत्नी श्री हनुमन्त प्रकाश माहेश्वरी निवासीगण बिजयनगर जिला अजमेर (राजस्थान) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला अजमेर तहसील बिजयनगर	बरल द्वितीय	971 972 973	ख.नं. 971 रकबा 0.7200 हैक्टर ख.नं. 972 रकबा 0.5784 हैक्टर ख.नं. 973 रकबा 0.5298 हैक्टर कुल किता 1.8292 हैक्टर क्षेत्रफल 9802.57 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 731.26 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक -- को जारी की गयी।
प्राधिकारी अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बिजयनगर

पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान के निधन पर शोक जताया

परबतसर। पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान के निधन के बाद उनके पुत्र-पुत्रियो, परिवारजनों ने सामाजिक कुरीति मृत्युभोज एवं पैरावणी जैसी प्रथा नही करके समाज के सामने एक नई पहल कर समाज में अच्छा संदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों परबतसर से तीन बार विधायक रहे मोहनलाल चौहान का आकस्मिक निधन हो गया था।

जिसके बाद उनके पुत्र पवन कुमार चौहान, एडवोकेट गजराज चौहान, एडवोकेट अशोक चौहान, पौत्र नर्सिग चौहान, सतीश चौहान, संदीप चौहान, तन्मय चौहान व समस्त चौहान परिवार बाजवास, परबतसर ने पहल करते हुए समाज सुधार के रूप में कार्य करते हुए पैरावणी पर प्रतिबंध लगाया व मृत्युभोज को पूर्णतया बंद कर दिया।

निजी स्कूल संचालक ने की आत्महत्या

मदनगंज-किशनगढ़, (निस)। मदनगंज थाना अंतर्गत विनायक नगर में आर्थिक तंगी से परेशान निजी स्कूल संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने सुसाइड नोट के आधार पर एक नामचीन वकील पर परेशान करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने राजकीय अस्पताल में वकील को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए शव की सुपुर्दगी लेने से साफ इंकार कर दिया। इनका कहना था कि विनायक नगर निवासी मनीष कुमावत ने वकील को रकम का भुगतान कर एक मकान खरीद किया, किन्तु रकम लेने बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई। उक्त रकम ब्याज से लेकर गवाहों की मौजूदगी में वकील को दी गई बताई। विधायक सुरेश टाक द्वारा पुलिस की मौजूदगी में उचित कार्यवाही के लिये आश्वस्त किये जाने के बाद मामला शांत हो सका। पुलिस ने मामला दर्ज तप्तिश शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत

अजमेर, (निस)। जांगिड़ समाज के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जांगिड ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ समाज हितार्थ निर्णय लिये जायेंगे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र साथ अन्य क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। नवनिर्वाचित प्रधान रामपाल जांगिड बुधवार को समाजसेवीसत्यनारायण जांगिड़ के निवास पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज पिछडा हुआ है, इसके लिये आवश्यकता पडने पर जरूरतमंद की आर्थिक मदद करने के लिये सदैव तत्पर रहेंगे।

जिला प्रमुख ने जनसुनवाई की

अजमेर। सुशील कंवर पलाडा जिला प्रमुख अजमेर की अध्यक्षता में दिवस बुधवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में सदैव की भांति प्राप्त प्रकरणो की प्रकृति अनुसार कार्यवाही कर आमजन को तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। जनसुनवाई में प्रार्थी बच्छराज जाट, अध्यक्ष, सरपंच संघ, भिनाय ने अवगत कराया कि पंचायत समिति भिनाय के विकास अधिकारी ने नरेगा श्रमिको की उपस्थिति को एम.एम.एस. के जरिये कराने का आदेष निकाला है।

नरेगा श्रमिको को ना तो प्रषिक्षण दिया गया है ओर ना ही उनके पास मोबाईल है। अजमेर जिले में सिर्फ भिनाय पंचायत समिति में ही यह आदेष निकाला गया है। प्रार्थी ने एम.एम.एस. से उपस्थित को स्थगित कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी पुरणमल रेगर, पंचायत समिति सदस्य, भिनाय ने ग्राम देवलियांकला में नरेगा से संबंधित अनियमितताओ से अवगत कराया है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई-श्रम कार्ड निशुल्क बनेंगे

अजमेर (निस)। जिले के समाचार पत्र वितरकों व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई-श्रम कार्ड निशुल्क बनाने व प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शिविर का आयोजन 6 जनवरी एवं 7 जनवरी को विजय लक्ष्मी पार्क जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के पास अजमेर में किया जायेगा। शिविर में समस्त समाचार पत्र वितरक बन्धुओं व अन्य असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के निशुल्क ई-श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। ई-श्रम कार्ड के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लि ए भी पंजीकरण किया जाएगा, इस कैंप में अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, सांसद मान भागीरथ चौधरी, उत्तर क्षेत्र विधायक वासूदेव देवनानी, दक्षिण क्षेत्र विधायक अनिता भदेल , किशनगढ़ से सुरेश टांक, श्रम व रोजगार कार्यालय केंद्रीय कमिश्नर संजय डाबी, आशीष पंवार, राज्य जोइंट लेबर कमिश्नर विशेश्वर चौधरी मौजूद रहेंगे।

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
क्रमांक:तामीरात/974 दिनांक: 05.01.2022

उजरदारी नोटिस

श्री विष्णु दत्त शर्मा पिता कन्हैयालाल शर्मा निवासी शास्त्रीनगर भूखण्ड संख्या 248, (25X45) फीट द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।
पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- भूखण्ड संख्या 249 पश्चिम:- भूखण्ड संख्या 247
उत्तर :- आम रास्ता 20 फीट दक्षिण:- अन्य आराजी
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
क्रमांक:तामीरात/973 दिनांक: 05.01.2022

उजरदारी नोटिस

श्रीमती कान्ता देवी पति श्री किशनलाल प्रजापत नि. ऊंखलिया वाले गुरू पत्ना नगर कोलोनी भूखण्ड संख्या 17, 25X40 द्वारा पालिका कार्यालय में भवन निर्माण स्वीकृति हेतु/भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुए एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।
पड़ौस विवरण :-
पूर्व :- भूखण्ड संख्या 18 पश्चिम:- आम रास्ता 30 फीट
उत्तर :- आम रास्ता 30 फीट दक्षिण:- भूखण्ड संख्या 16
अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा

जेएलएन अस्पताल में आप पार्टी ने लोगों को जन जागरूकता पत्र सौंपे

अजमेर, (कासं)। आम आदमी पार्टी अजमेर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को जेएलएन अस्पताल में (मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना को सच में मुफ्त बनाइए) जनजागरूकता पत्र लोगों सौंप कर उन्हें अपने हक के प्रति जागरूक किया गया।

प्रदेश महिला शक्ति कीर्ति पाठक ने बताया कि दो तीन मुद्दों की लड़ाई है जिससे व्यवस्था सुधरे और आम व्यक्ति कि जिंदगी में सुधार आए। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयां लिखी जाती है जो कि बाहर की व कंपनी की दवाई होती है। आम आदमी पार्टी द्वारा सभी लोगों को यह समझाया जा रहा है। की जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर को यह बोला जाए कि वह जेनेरिक दवाइयां लिखें। अगर कोई डॉक्टर द्वारा यह बोला जाता है कि उनमें पोटेंसी नहीं है। तो वह डॉक्टर झूठ बोल रहा है क्योंकि अगर सॉल्ट सेम है। तो उनकी पोटेंसी भी सेम होगी। इसी को लेकर जेएलएन अस्पताल में आए लोगों को पार्टी कार्यकर्ता द्वारा समझाया जा रहा है।

दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना है। उसमें अक्सर यह देखा जाता है जो मुफ्त दवाइयां है उसमें से बहुत सी दवाइयां अस्पताल में मुफ्त दवाइयां भंडार पर नहीं मिलती है। जिस वजह से लोगों को वह दवाई बाहर से खरीदनी पड़ती है इसके लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक जन जागरूकता पत्र लोगों को दिया जा रहा है अगर आपको कोई दवाई जो डॉक्टर द्वारा लिखी गई है वह बाहर से खरीदनी पढ़ती है तो आपको उस पर्ची व खरीदी हुई दवाई की रसीद संभाल कर रखनी है। और उसकी फोटो खींचकर आम आदमी पार्टी हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से आपके पैसे दिलवाने की लड़ाई लड़ेगी।

जेएलएन अस्पताल में जनजागरुकता अभियान के तहत आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनजागरूकता पत्र लिखे।

अजमेर ज़िला कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत गहरवार ने बताया बताया की आम आदमी पार्टी अजमेर कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर स्थित जेएलएन अस्पताल में मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना को सच में मुफ्त बनाइए का जन जागरूकता पत्र लोगों को दिया गया। और लोगों को समझाया गया कि आपको कोई दवाई अस्पताल में नहीं मिलती है तो उसे आपको बाजार से खरीदना पड़ता है बस आपको उस पर्ची व खरीदी हुई दवाई की रसीद संभाल कर रखनी है और उसकी फोटो खींचकर आम आदमी पार्टी हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करनी है जिसके बाद आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से आपके पैसे दिलवाने की लड़ाई लड़ेगी। ज़िला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आफाक अली, ज़िला उपाध्यक्ष टेम्पो टैक्सी ड्राइवर यूनियन दीपक कुमार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला सचिव ऋषिदत्त शर्मा, हेमनंदिनी व आदि कार्यकर्ताओं का सक्रिय योगदान रहा।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुकेश चौधरी पुत्र श्री देवकरण चौधरी एवं श्रीमती रेखा पत्नि श्री मुकेश चौधरी जाति जाट निवासी रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, अजमेर रोड़ ब्यावर जो कि मेरे अभिभाष्य देवकरण चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल जाति जाट निवासी जी-40-ए, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, अजमेर रोड़ ब्यावर के पुत्र व पुत्रवधु है, वे मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्य व उसके परिजनों के साथ लड़ाई झगड़ा गाली गलौच करते हुए नाजायज परेशान करते है तथा चोटें पंहुचाने से भी बाज नहीं आते है तथा हरसमय मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकियां देते रहते है इसलिए मेरे अभिभाष्य ने मुकेश चौधरी एवं उसकी पत्नि रेखा की हरकतों से परेशान होकर मुकेश व श्रीमती रेखा व उसके परिवार को अपने परिवार व सम्पत्तियों से बेदखल करके अलग कर दिया हैं तथा अब मुकेश एवं श्रीमती रेखा व उसके परिवार का मेरे अभिभाष्य अथवा उसके परिवारजन अथवा उसकी किसी चल या अचल सम्पति से कोई संबंध सरोकार या वास्ता शेष नही रह गया है।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मुकेश चौधरी व श्रीमती रेखा व उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति मेरे अभिभाष्य व उसके परिजन के नाम से अथवा उनकी किसी सम्पति के संबंध में किसी भी तरह का कोई व्यवहार, सव्यवहार, अनुबंध, सौदा, कार्य व/या कार्यवाही नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह स्वयं अपनी जोखिम एवं जिम्मेदारी पर करेगा तथा उससे मेरा अभिभाष्य एवं उसके परिवारजन कत्तई पाबन्द नहीं होगें।
नरेन्द्र कुमार, एडवोकेट, ब्यावर, मो. नं. 9799009803

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व सांधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पंचशील नगर, ई-ब्लॉक आवासीय योजना के आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड संख्या ई-15, क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज आवंटी/अन्तरिति श्री घनश्याम डंगाडा पुत्र श्री बाबूलाल निवासी 47, गली नं. 3, सरस्वती नगर, धोलाभाटा रोड़ अजमेर की मृत्यु दिनांक 27.07.2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः श्रीमती हरदेवी पत्नी स्व. श्री घनश्याम डंगाडा, अलका राज पुत्री स्व. श्री घनश्याम डंगाडा, संगीता राज पुत्री स्व. श्री घनश्याम डंगाडा, अमित राज पुत्र स्व. श्री घनश्याम डंगाडा, निवासी 47, गली नं. 3 सरस्वती नगर धोलाभाटा रोड़ अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री योगेश राज डंगाडा पुत्र स्व. श्री घनश्याम डंगाडा निवासी 47, गली नं. 3 सरस्वती नगर, धोलाभाटा रोड़ अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 23.12.2021 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।
योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर जिला अजमेर, राज.
क्रमांक/न.पा.बि./भूमि/2021/5272 दिनांक: 04.01.2022

लोक सूचना

(1) श्री मुकेश माहेश्वरी पुत्र श्री धनराज माहेश्वरी (2) अन्तिमा माहेश्वरी पत्नी दीपक माहेश्वरी (3) श्री दिनेश माहेश्वरी पुत्र श्री धनराज माहेश्वरी निवासीगण बिजयनगर जिला अजमेर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
जिला अजमेर तहसील बिजयनगर	बरल द्वितीय	960 1463/ 961, 1464/ 961, 962	ख.नं. 960 रकबा 0.2588 हैक्टर ख.नं. 1463/961 रकबा 0.2075 हैक्टर ख.नं. 1464/961 रकबा 0.1039 हैक्टर ख.नं. 962 रकबा 0.2993 हैक्टर कुल किता 0.8695 हैक्टर क्षेत्रफल 4569.00 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ क्षेत्रफल 434.74 वर्गमीटर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज -- को जारी की गयी।
प्राधिकारी अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बिजयनगर